राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकलपीठ सिविल विविध अन्तरण प्रार्थना पत्र संख्या–160/2019

डॉ. अन्जना पत्नी डॉ. नाहर पुत्री श्री सूरजमल चौधरी, निवासी प्लॉट संख्या–21 ''शीतलम'' मंगलमसिटी के सामने, प्रगति नगर, अजमेर ।

––प्रार्थीया

–: बनाम :–

डॉ. नाहर सिंह चौधरी पुत्र श्री गिरधारीलाल चौधरी, निवासी प्लॉट संख्या 34 ए, अलकापुरी, त्रिवेणी स्कूल के पास, मुरलीपुरा, जयपुर ।

––अप्रार्थी

आदेश दिनांकः– **30.08.2019**

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीया	:–	श्री अजय सिंह एवं मि. दीपा चौधरी
अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थी	:–	श्री सुरेश कुमार धेनवाल

1. प्रार्थीया डॉ. अन्जना द्वारा इस अन्तरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 24 सी.पी.सी. द्वारा पारिवारिक न्यायालय क्रम–1, जयपुर महानगर में लंबित प्रार्थना पत्र संख्या–3300/2019 अन्तर्गत धारा–13(1) हिन्दु विवाह अधिनियम बउनवानी डॉ. नाहर सिंह बनाम डॉ. अन्जना को पारिवारिक न्यायालय, अजमेर में स्थानान्तरित करने की प्रार्थना की गई है ।

2. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थना पत्र पर सुना गया ।

3. योग्य अधिवक्ता प्रार्थीया श्री अजय सिंह ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अपनी बहस में दोहराते हुए यह कहा कि प्रार्थीया व अप्रार्थी का विवाह दिनांक–29.01.2016 को हिन्दु रीति रिवाज से संपन्न हुआ था। प्रार्थीया के अनुसार विवाह के बाद से ही प्रार्थीया को अप्रार्थी व उसके परिवारजनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। जिसके कारण प्रार्थीया दिनांक 29.04.2019 से अपने माता पिता के साथ रह

रही है । प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी व उसके परिवारजानों के विरूद्ध महिला थाना अजमेर में शिकायत दर्ज कराई गई जो विचाराधीन है । अप्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–13 हिन्दु विवाह अधिनियम पारिवारिक न्यायालय क्रम–1 जयपुर महानगर में केवल प्रार्थीया को हैरान व परेशान करने हेतु प्रस्तुत किया गया है जबकि जयपुर में न तो प्रार्थीया निवास करती है और न ही अप्रार्थी निवास करता है । अप्रार्थी का स्थानान्तरण दिनांक 18.06.2019 को पोखरन, जैसलमेर हो चुका है। प्रार्थीया अजमेर में ही रेजीडेंट डॉक्टर है। प्रार्थीया की ड्यूटी की प्रकृति को देखते हुए प्रार्थीया के लिए संभव नहीं है कि वह हर पेशी पर अजमेर से जयपुर जाकर प्रकरण की पैरवी कर सके । ऐसे प्रकरणों में पत्नी की सुविधा अधिक महत्वपूर्ण है। अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थीया द्वारा दायर किया गया आपराधिक प्रकरण अजमेर न्यायक्षेत्र में विचाराधीन है अतः प्रकरण जयपुर से अजमेर स्थानान्तरित करने से अप्रार्थी को भी कोई असुविधा और परेशानी नहीं होगी और वह सभी प्रकरणों की पैरवी एक साथ कर सकेगा। अन्त में उन्होंने प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया ।

5. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा रखे गए कथनों पर व प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों पर समग्र रूप से विचार करने के बाद व विशेष रूप से इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए कि अप्रार्थी के विरूद्ध एक आपराधिक प्रकरण अजमेर में विचाराधीन है जिसमें निश्चित् रूप से अप्रार्थी हाजिर होता होगा तथा इस सुस्थापित विधिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कि ऐसे प्रकरणों में पत्नी की सुविधा अधिक महत्वपूर्ण है, साथ ही इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि जैसलमेर से अजमेर के मुकाबले जयपुर की दूरी अधिक है, इस प्रकार अजमेर में प्रकरण को स्थानान्तरित किया जाना अप्रार्थी के लिए भी सुविधाजनक है, प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है ।

अतः यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र संख्या–3300/2019 अन्तर्गत धारा–13(1) हिन्दु विवाह अधिनियम बउनवानी डॉ. नाहर सिंह बनाम डॉ. अन्जना को पारिवारिक न्यायालय क्रम–1,जयपुर महानगर से पारिवारिक न्यायालय, अजमेर में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। दोनों न्यायालयों को तद्नुसार सूचित किया जावे।

दोनों पक्षकार पारिवारिक न्यायालय, अजमेर में दिनांक 30.09.2019 को उपस्थित हों।

(न्या0 प्रकाश गुप्ता)

ऋषिकेश सोनी/78